FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0240 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/08/2026 17:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** रविवार **Date From (दिनांक से):** 14/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/06/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:42 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/08/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/08/2026 17:28:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 530 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE CHOWKI BANKODA POLICE THANA DOWARA, JILA DUNGARPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARISH AHARI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHANLAL AHARI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2006 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BAUJATO KA ODA FALUGAMRA, DOWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BAUJATO KA ODA FALUGAMRA, DOWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KHEMRAJ BALAI		पिता:BHURALAL BALAI	1. GUDLA POST DHAYLA,NATHDWARA,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA
2	MAHENDRA MEENA		पिता:RATANJI MEENA	1. KHGDER FLAN PADRA,SAGWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदयजी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2026 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर गोपनीय सूचना संकलन हेतु रवाना होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज की चाबी व चौकी का चार्ज पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह के जिम्मे किया गया था। समय 08.13 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दुरभाष श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को बताया कि समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमति लीलावती कलासुआ चौकी पर उपस्थित आयेंगे जिससे रिपोर्ट प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगा कर परिवादी व सहपरिवादिया को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि को समझाईश कर कानि श्री महेश चन्द्र न. 394 को परिवादी व सहपरिवादिया के साथ रिष्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता संदिग्ध से करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के परिवादी व सहपरिवादिया को रवाना करे। जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कानि. श्री महेश चन्द्र न. 394 को समय करीब 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 10.10 ए.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी पिता मोहनलाल अहारी जाति मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट भौजातो का ओडा फालुगामडा थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी पत्नि देशवीर अहारी मुकाम पोस्ट भौजातो का ओडा फालुगामडा थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी श्री हरिश अहारी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय के कानि0 श्री महेश चन्द्र नं0 394 को पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी और कानिस्टेबल श्री महेश चन्द्र न 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकाल कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व सहपरिवादिया को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि महेन्द्र से अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के सहपरिवादिया को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि महेन्द्र से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री महेश चन्द्र न. 394 व परिवादी तथा सहपरिवादिया व मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के रिश्तेदार की निजी बोलेरो के समय 11.38 ए.एम पर पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना किया गया। हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। तत्पष्चात समय करीब 03.00 पी.एम पर कानि. श्री महेश चन्द्र न. 394 व परिवादी श्री हरिश अहारी तथा सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी उपस्थित चौकी हो कानि. ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि हालात मैंने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरीये मोबाईल अर्ज किये जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को यथास्थिति पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी को सुरक्षित कार्यालय मे बैठाया गया। तत्पश्यात समय करीब 04.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हाजिर आया जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2026 को परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर हालात अर्ज किये गये। समय 04.10 पी.एम पर कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती व कानि. श्री महेश चन्द्र न. 394 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बुलाया गया व परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा दिनांक 14.06.2026 को श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक

को पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि है की "उपरोक्त विषय मे मुझ प्रार्थी हरिश अहारी पिता मोहनलाल अहारी जाति मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट भौजातो का ओडा फालुगामडा थाना दोवडा का निवेदन है कि मेरे भाई रोहित अहारी के खिलाफ उसकी पत्नि अनिता कलासुआ पिता रमेश कलासुआ निवासी मानपुरा द्ववारा रिपोर्ट कोर्ट में दी थी जो दोवडा थाने मे उसकी पत्नि अनिता व उसके परिवार के खिलाफ झगडा करने के खिलाफ रिपोर्ट दी थी जिसकी जांच खेमराजी थानेदार चौकी बनकोडा थाना दोवडा के पास है कल दिनांक 13.05.2026 को खेमराजी थानेदार द्ववारा चौकी बनकोडा पर मेरे भाई रोहित व हमारे को बुलाया था और खेमराजी ने कहा कि रोहित के खिलाफ उसकी पत्नि ने आगे रिपोर्ट दी है जिसकी जांच मेरे पास है उसमे 8-9 जनो के नाम और है ये नाम निकालने के लिए तुम्हारे को 23000 हजार रूपये मेरे को देने पडेंगे और फिर हमने कहा कि आज तो इतने पैसे नही है, बाद मे व्यवस्था करके आपको दे देंगे तो उन्होने कहा की आज जो है वो दे दो जिस पर मैने उनको कल 5000 हजार रूपये रिश्वत के दिए व तब उन्होने कहा की बाकी के 18000 हजार रूपये उन्होने 1 या 2 दिन मे कहा है, देने का, मै उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी उनसे कोई लेन-देन बाकी नही है एव नही उनसे कोई पुरानी रंजिश है कार्यवाही करावे।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तोपरिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री खेमराज उपनिरीक्षक व कानि. श्री महेन्द्र द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई। परिवादी श्री हरिश अहारी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे भाई रोहित की पत्नि अनिता व उसके पीहर वालो द्वारा हमारे घर पर आकर झगडा करने की रिपोर्ट हमने पुलिस थाना दोवडा मे दी थी दिनांक 12.04.2026 को उस पर उन्होने कोई कार्यवाही नही की व रोहीत की पत्नि के द्वारा आगे रिपोर्ट देने से कल दिनांक 13.06.2026 को पुलिस चौकी बनकोडा थाना दोवडा के थानेदार साब खेमराज जी ने मेरे भाई रोहित व हमारे को वहा बुलाया व कहा कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट जो रोहित की पत्नि अनिता ने दी है उसमे रोहित व 8-9 नाम अन्य व्यक्तियों के है उसमे दूसरो के नाम हटाने व मदद करने के लिए 23,000/- रूपये मांगे, जिस पर हमने 5000/- रूपये वही कल उनको दिये व बाकी के 18,000/- रूपये 1 या 2 दिन मे देने का कहाँ है। जिस पर हमने मांग सत्यापन के वक्त 3000/-रूपये दिये इस तरह हम 8000/- रूपये रिश्वत के तोर पर दे चुके है व 15000/- रूपये ओर रिश्वत राशि मांग रहे है। मेरा भाई रोहीत टीबी की बीमारी से पीडीत है एवं उसके व 8-9 परिवार मे व्यक्तियो के विरूद्व रोहीत की पत्नी अनिता ने झुठी रिपोर्ट करवाई है। जिसमे नाम हटाने की एवंज मे थानेदार श्री खेमराज व कानि. महेन्द्र द्वारा अवैध रिश्वत राशि की मांग की जा रही है हम हमारे जायज कार्य के एवंज मे रिश्वत राशि नही देना चाहते है एवं रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। जिस पर उपस्थित कानि. श्री महेश चन्द्र नं0 394 ने बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार मै एसीबी चौकी डूंगरपुर से परिवादी के रिश्तेदार की बोलेरो से परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के समय 11.38 ए.एम पर रवाना हो पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा के आस-पास पहुंच मन् कानि. द्वारा परिवादी व सहपरिवादिया को रिश्वत राशि मांग सत्यापन बाबत समझाईश कर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि. श्री महेन्द्र से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड के समय 12.42 पीएम पर शुरू कर पुलिस चौकी बनकोडा के लिए रवाना किया गया तथा मै पुलिस चौकी बनकोडा के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्यात समय 01.05 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी मेरे पास आये तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझ कानि को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्यात परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि की बात श्री खेमराज थानेदार साहब व कानिस्टेबल साहब श्री महेन्द्र जी से हो गई है। दोनो ने नाम हटाने व मदद करने के लिए 23,000/- रूपये मांगे थे, जिस पर हमने 5000/- रूपये कल उनको दे दिये थे व बाकी के 18,000/- रूपये 1 या 2 दिन मे देने का कहाँ था। जिसमे पसे हमने 3000/- रूपये और अभी दे दिये है। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्यात मन् कानि. व परिवादी श्री हरिश अहारी तथा सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमे लगे मेमोरी कार्ड के परिवादी के रिश्तेदार की बोलेरो से रवाना हो उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हुआ। मन् कानि. द्वारा हालात जरीये मोबाईल श्रीमान को अर्ज किये गये। श्रीमान के निर्देशानुसार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को यथास्थिति श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक साहब को सुपुर्द किया गया था। परिवादी व सहपरिवादिया व संदिग्ध खेमराज उप निरीक्षक व कानि श्री महेन्द्र के मध्य हुई वार्ता की रिकाडीग से रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया है एवं ट्रेप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होने से परिवादी श्री हरिष अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती को संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि. श्री महेन्द्र को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 15,000/- रूपये लेकर दिनांक 15.06.2026 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री हरिश अहारी व सपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी को रूकसत किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा गया। हालात उच्च अधिकारी को अर्ज किये गये। दिनांक 15.06.2026 को समय 09.00 ए.एम पर

पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित हो परिवादी श्री हरिश अहारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की संदिग्ध श्री खेमराज थानेदार व श्री महेन्द्र कानिस्टेबल को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हुं। इसके पश्चात् परिवादी व सहपरिवादिया को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 09.30 ए.एम पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को दिनांक 15.06.2026 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 790 दिनांक 15.06.2026 से तेहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 को कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग डुंगरपुर मे तहरीर देने रवाना किया गया। समय 10.00 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 के साथ दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक 790 दिनांक 15.06.2026 गवाह पाबन्द बाबत पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात स्वतन्त्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री नितेश कुमार डामोर पिता श्री गांगजी डामोर उम्र-36 वर्ष निवासी गडा अरेन्डीया, पंचायत दौलपुरा पुलिस थाना साबला जिला डुंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर व सुश्री ईशानी मीणा पिता श्री चतुरचन्द मीणा उम्र-26 वर्ष, निवासी 8/95 शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग डूंगरपुर होना बताया। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्यात दिनांक 14.06.2026 को परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सहपरिवादिया व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादिया ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 14.06.2026 को परिवादी, सहपरिवादिया एवं संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व श्री महेन्द्र कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब कि गई। समय 10.45 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादिया के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हरिश अहारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री हरिश अहारी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री हरिश अहारी की जामा तलाशी गवाह श्री नितेश कुमार डामोर से लिवाई गई। जिसमें परिवादी श्री हरिश अहारी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी श्री हरिश अहारी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से कार्यालय के मालखाना कक्ष में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि. श्री महेन्द्र को देने के लिए परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबुलाल कानि. 393 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपीगण, परिवादीगण से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ही कार्यालय के मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्धगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता

हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबुलाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉं, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्धगण के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्धगण से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादीगण को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री हरिश अहारी को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि. श्री महेन्द्र से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत दी गई। कार्यवाही मे दो संदिग्ध होने के कारण दोनो की लोकेशन जानना आवश्यक होने के कारण समय 11.03 ए.एम पर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर की लोकेषन प्राप्त की गई तो संदिग्ध खेमराज उप निरीक्षक की लोकेशन आसपुर होना पाया गया। तत्पश्यात समय 11.40 ए.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन पादरा गांव के पास होना पाया गया। तत्पष्चात समय 12.26 पी.एम पर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध खेमराज उप निरीक्षक की लोकेशन आसपुर होना पाया गया। समय 12.26 पी.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन पादरा गांव के पास होना पाया गया। उक्त समस्त हालात उच्च अधिकारीयो को अर्ज किये गये। समय करीब 12.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री हरिष अहारी व सहपरिवादिया श्री लीलावती अहारी के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के पास रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड को प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा परिवादी श्री हरीश अहारी व सहपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी व सदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि महेन्द्र पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा के मध्य दिनांक 14.06.26 को समय 12.42 पीएम पर पुलिस चौकी बनकोडा पर हूई वार्तालाप को जिसे की कार्यालय भ्रनिब्युरो डूंगरपुर के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में परिवादी एवं सहपरिवादिया द्वारा वक्त वार्तालाप मुताबिक निर्देश रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रनिब्युरों डुंगरपुर के कम्प्युटर से कनेक्ट करवाकर मुल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ता चलाकर सुना जाकर सुन-सुन कर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में कानि0 श्री महेश चन्द्र नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री हरीश अहारी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी एव अन्य आवाज सदींग्ध आरोपी श्री खेमराज तथा सदिग्ंध श्री महेन्द्र की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। समय करीब 02.11 पी.एम पर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर की लोकेषन प्राप्त की गई तो संदिग्ध खेमराज उप निरीक्षक की लोकेशन चौकी बनकोडा होना पाया गया। तत्पश्यात समय 02.46 पी.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन सागवाडा से पुनाली रोड होना पाया गया। समय करीब 02.50 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं सहपरिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 14.06.2026 को समय 12.42 पी.एम पर परिवादी श्री हरीश अहारी, सहपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी एवं संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि महेन्द्र पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन् अति.पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री बाबुलाल कानि. 393 द्वारा कार्यालय के सरकारी कम्प्युटर में कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डषुदा वार्ता को कॉपी कर तीन पेन ड्राई SANDISK 08 GB की तैयार की गयी। एक पर आरोपी पेनड्राईव व दुसरी पर आरोपी-1 पेनड्राईव तथा तीसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी व आरोपी-1 पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनो पेनड्राईव को अलग-अलग खाकी लिफाफे में चिट लगाकर अनशिल्ड सुरक्षित रखा गया एवं तीसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा जिसको खाकी लिफाफे में चिट लगाकर अनशिल्ड सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप

रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्यात समय 03.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि नम्बर 393 को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B) चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सहीढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्धगण के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्यात संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक की लोकेशन चौकी बनकोडा होना पाया गया व संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन सागवाडा से पुनाली रोड होना पाया जाने से समय करीब 03.30 पी.एम पर कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया खाली एक मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगा हुआ मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व सहपरिवादिया को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पूर्ण समझाईश कर संदिग्ध श्री खेमराज उपनिरीक्षक व कानि महेन्द्र से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड करने हेतु आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड के सहपरिवादिया को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादीया को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री दीपक कानि. एवं श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को निजी मोटरसाईकिल से, रवाना कर पिछे-पिछे श्री धिरेन्द्र सिंह कानि., श्री बाबु लाल कानि. व श्री महेश चन्द्र कानि. को परिवादी के रिश्तेदार के ईको वाहन से रवाना करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय् श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री नितेश कुमार, सुश्री ईशानी मीणा एवं श्री अख्तर खान हैड कानि मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के जरिये निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पुलिस चौकी बनकोडा थाना दोवडा की तरफ रवाना है। समय 03.50 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनाली के आस-पास पंहुच वाहनो एवं मोटर साईकील को रोड के साईड मे खडा करवा कर परिवादी की मोटर साईकिल को रूकवा कर एक बार फिर संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन महालक्ष्मी होटल के समीप पादरा गांव की आने से कानि. महेन्द्र के चौकी बनकोडा उपस्थित आने तक इन्तजार करना उचित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से आस-पास रूकने की जगह के बारे मे पूछने पर परिवादी ने बताया की पास ही रतनागिरी फला मे मेरे रिश्तेदार का मकान है जहा अपन रूक सकते है जहा किसी को शंका नही होगी जिस पर पूर्वा अनुसार वाहनो से रवाना हो परिवादी के रिष्तेदार के मकान रतनागिरी फला पंहुच संदिग्ध महेन्द्र कानि के बनकोडा चौकी पंहुचने के इन्तजार मे मुकिम हुये। तत्पश्यात समय करीब 04.59 पी.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन पादरा गांव के पास होना पाया गया। चुंकि इस ट्रेप कार्यवाही के सत्यापन मे सदिंग्ध खेमराज उप निरीक्षक द्वारा परिवादी को कहा गया कि आप महेन्द्र से बात कर लेना आदी महेन्द्र ने मांग सत्यापन मे परिवादी के पैसे कम करने की बात पर कहा कि थानेदार जी तो ज्यादा कह रहे थे मै इतने ही बता रहा हुं। सत्यापन वार्ता से भी स्पष्ट है कि संदिग्ध खेमराज उप निरीक्षक भी इस वार्ता के समय वही उपस्थित होकर परिवादी को उन्होने महेन्द्र से वार्ता के लिए कहा। रिश्वत राशि संदिग्ध खेमराज के कहे अनुसार ही संदिग्ध श्री महेन्द्र कानि द्वारा मागी जा रही है ऐसी अवस्था मे जब की संदिग्ध महेन्द्र चौकी पर नही है। परिवादी ने बताया की थानेदार खेमराज रिश्वत राशि हम से ले लेगा। जिस पर उच्चाधिकारीयो से वार्ता कर हालात अर्ज किये गये। तत्पश्यात समय करीब 06.30 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी को संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक से रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आवष्यक हिदायत दी जाकर सहपरिवादीया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगा हुआ मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व सहपरिवादिया को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पूर्ण समझाईश कर संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक से रिष्वत राषि लेन-देन वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड करने हेतु आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड को शुरू कर सहपरिवादिया को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादीया को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पुलिस

चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा की ओर रवाना कर पिछे-पिछे, श्री दीपक कानि. एवं श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को निजी मोटरसाईकिल से, रवाना कर पिछे-पिछे श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री अख्तर खान हैड कानि, को पुलिस निरीक्षक की निजी कार से रवाना करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय् स्वतन्त्र गवाह श्री नितेश कुमार, सुश्री ईशानी मीणा, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि., श्री बाबु लाल कानि. व श्री महेश चन्द्र कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के जरिये परिवादी के रिश्तेदार के ईको वाहन से पुलिस चौकी बनकोडा थाना दोवडा के आस-पास पंहुच मुकिम हुये। समय करीब 06.38 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी बिना कोई निर्धारित ईशारा किये हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान के पास आये व सहपरिवादिया ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू अवस्था में मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बन्द कर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखा तथा सहपरिवादिया ने बताया की हम पुलिस चौकी बनकोडा गये वहा थानेदार श्री खेमराज जी मिले जिन्होने हरीश को ईशारा कर एक तरफ ले जाकर कहा की तुम मेरे पास क्यु आये हो, मुझसे मत मिलो। उसके बाद थानेदार अन्य व्यक्ति की कार मे बैठकर वहा से चला गया। जिस पर हम वहा से रवाना हो आपके पास आये है। हमे लगता है थानेदार श्री खेमराज रिश्वत राशि हमसे ग्रहण नही करेगा वो श्री महेन्द्र कानिस्टेबल के मार्फत ही रिश्वत राशि लेगा श्री महेन्द्र कानिस्टेबल आज बनकोडा चौकी पर उपस्थित होने की आशा नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 07.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुचे। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरिश अहारी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में रखी रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए को स्वतन्त्र गवाहन श्री नितेश कुमार व सुश्री ईशानी मीणा के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा कर मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। तत्पश्यात डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी व सहपरिवादिया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष शुरू कर सुना गया तो उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड वार्ता मे केवल गाडीयो के चलने की आवाज की रिकोर्ड हुई है आरोपी तथा परिवादी और सहपरिवादिया की कोई वार्ता रिकोर्ड नही हुई है। जिस पर सहपरिवादिया ने बताया की हम पुलिस चौकी बनकोडा गये वहा थानेदार श्री खेमराज जी मिले जिन्होने हरीश को ईशारा कर एक तरफ ले जाकर कहा की तुम मेरे पास क्यु आये हो, मुझसे मत मिलो। उसके बाद थानेदार अन्य व्यक्ति की कार मे बैठकर वहा से चला गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेरे पास था ओर मे दुर खडी थी इस कारण हरिश व थानेदार खेमराज की वार्ता रिकोर्ड नही हुई है। तत्पश्चात् सहपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की दिनांक 17.06.2026 को श्री रोहीत को बनकोडा पुलिस चौकी पर बुलाया है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी व सहपरिवादिया को आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें। परिवादी श्री हरीश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी, स्वतन्त्र गवाहान श्री नितेश कुमार, सुश्री ईशानी मीणा, को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 16.06.2026 को समय 03.34 पी.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेशन पादरा गांव के पास होना पाया गया। जिस पर समय 03.55 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती को आरोपीगण श्री महेन्द्र कानि. व श्री खेमराज पुलिस उप निरीक्षक की चौकी पर उपस्थिति के सम्बध मे पूछने पर सहपरिवादिया ने बताया की बनकोडा मे रहने वाले मेरे रिश्तेदारों के जरिये पता किया तो दोनो ही चौकी पर नही है। जिस पर सहपरिवादिया को आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें व सहपरिवादीया को गोपनीयता की हिदायत दी गई। तत्पष्चात दिनांक 18.06.2026 को समय 10.26 ए.एम पर संदिग्ध कानि. श्री महेन्द्र के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गई तो संदिग्ध कानि. महेन्द्र की लोकेषन पादरा गांव के पास होना पाया गया। समय 06.42 पी.एम पर श्रीमती लीलावती अहारी का कॉल आया तथा उसने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की दिनांक 17.06.2026 को रोहित ने थानेदार श्री खेमराज को कॉल कर कहा की आपने मुझे दिनांक 17.06.2026 को बुलाया था तो थानेदार खेमराज ने कहा की जरूरत पडेगी तो बुलायेगे अभी नही आना है। जिस पर सहपरिवादिया को आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें व सहपरिवादीया को गोपनीयता की हिदायत दी गई। दिनांक 21.06.2026 को समय 05.57 ए.एम पर परिवादी श्री हरिष अहारी व समय 08.23 पी.एम पर श्रीमती लीलावती अहारी ने कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की कानिस्टेबल महेन्द्र पुलिस चौकी बनकोडा पर नही आ रहा है। जिस पर परिवादी व सहपरिवादिया को जरिये मोबाईल आवश्यक हिदायत दी

गई की जब भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें व गोपनीयता की हिदायत दी गई। दिनांक 22.06.2026 को समय 07.30 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर हो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की कानिस्टेबल महेन्द्र न तो थाने पर आ रहा है, न घर, जो कि गांव पादरा के पास है वहा जा रहा है। शायद उसको भनक लग गई है। जिस पर परिवादी व सहपरिवादिया को जरिये मोबाईल आवश्यक हिदायत दी गई की जब भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करे या समाचार भिजवावे तो तुरन्त ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे ताकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें व गोपनीयता की हिदायत दी जाकर परिवादी व सहपरिवादिया को रूकसत किया गया। दिनांक 24.06.2026 को समय 06.06 पी.एम पर श्री रोहित के मोबाईल नम्बर ' से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया व श्री रोहित ने बताया की बनकोडा पुलिस चौकी से मोबाईल नम्बर से कॉल आया व मुझे कहा की तुझे कोर्ट मे जाना है। उक्त व्यक्ति ने मुझे अपना नाम नही बताया। श्री रोहित को जरिये मोबाईल आवश्यक हिदायत दी गई गई। दिनांक 30.06.2026 को समय करीब 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी तथा श्री रोहित अहारी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर हो श्री रोहित अहारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मुझे एक व्यक्ति बार-बार मोबाईल नम्बर से कॉल कर धमकीया दे रहा था जिस के विरूद्व दिनांक 26.06.2026 को मै व हरिश तथा मेरे दो-तीन रिश्तेदार पुलिस थाना दोवडा उक्त नम्बर के विरूद्व शिकायत करने गये थे। जहा हमारे बीट कानिस्टेबल श्री कन्हैयालाल ने मुझे डरा-धमका कर कागजो पर हस्ताक्षर करवाये उन कागजात मे क्या लिखा था वो मेने नही पढा। तत्पश्यात परिवादी श्री हरिश अहारी ने बताया की दिनांक 27.06.2026 को लगभग 06.30 पी.एम पर श्री गटु पिता सोमा अहारी निवासी भोजातो का ओडा मेरे घर आया ओर कहा कि सरपंच काना जी पालमाण्डव बात करना चाहते है। बात करो उसने उसके फोन से बात कराई तो श्री काना सरपंच बोल रहा था कि एसीबी मे जो रिपोर्ट दी है वो वापस ले लेना नही तो सब जेल जाओगे चौकी बनकोडा पर दर्ज मामले मे ओर जमीन जायेदाद बेचनी पडेगी। श्री काना जी सरपंच मेरे रिश्ते मे फुआजी लगते है। तत्पश्यात दिनांक 28.06.2026 को समय करीब 09.06 पी.एम पर श्री रोहित के मोबाईल नम्बर पर सरपंच काना जी पालमाण्डव मोबाईल नम्बर से कॉल आया व सरपंच काना जी ने रोहित को कहा की तुमने एसीबी मे जो रिपोर्ट दी थी वो वापस ले लो मे तुम्हारा समझोता करा दुंगा। तत्पश्यात सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की श्री महेन्द्र कानिस्टेबल व श्री खेमराज थानेदार को एसीबी की कार्यवाही का पता चल गया है। हमे नही लगता है आगे वो हमसे रिष्वत राशि लेगे। जिस पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी तथा श्री रोहित अहारी को दिनांक 01.07.2026 को समय 01.00 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर व आवश्यक निर्देश देकर रूकसत किया गया। समय करीब 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी द्वारा बताये अनुसार आरोपी श्री खेमराज उप निरीक्षक व श्री महेन्द्र कानिस्टेबल को एसीबी द्वारा की जा रही कार्यवाही की भनक लगने से आगे आरोपीगण द्वारा परिवादीगण से अब रिश्वत लेना सम्भव नही होने के कारण पुलिस थाना दोवडा पर परिवादी के भाई रोहित के विरूद्व दर्ज परिवाद/प्रकरण से सम्बधीत रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतियो हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के नाम पत्र क्रमांक 849 दिनांक 30.06.2026 जारी कर विशेष वाहक श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 को रवाना किया गया। तत्पश्यात दिनांक 01.07.2026 को समय 11.00 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित हो थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के नाम से जारी तहरीर की रसीदन प्रति व पुलिस थाना दोवडा का पत्र क्रमांक 2307 दिनांक 01.07.2026 द्वारा रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतिया पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरिश अहारी व सहपरिवादिया श्रीमती लीलावती अहारी तथा श्री रोहित अहारी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर हो परिवादी श्री हरिश अहारी ने एक हस्तलिखीत रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि“ उपरोक्त विषय मे मुझ प्रार्थी हरिश अहारी/मोहन अहारी जाति मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट भोजातो का औडा कालुगामडा का निवेदन है कि मैंने व श्रीमती लीलावती अहारी दिनांक 14.06.2026 को आपकी चौकी मे उपस्थित हो एक रिपोर्ट दी थी मेरे भाई रोहित अहारी की पत्नि श्रीमती अनिता कलासुआ/रमेश कलासुआ द्वारा रिपोर्ट कोर्ट मे दी थी जो दोवडा थाना पर आई थी। मेरे भाई रोहित की तरफ से दिनांक 12.04.2026 को थाना दोवडा मे उसकी पत्नि व उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसकी जॉच खेमराज जी थानेदार चौकी बनकोडा थाना दोवडा के पास थी। खेमराज थानेदार द्ववारा चौकी बनकोडा पर मेरे भाई रोहित व हमारे को बुलाया था और खेमराज जी ने आगे कहा की रोहित के खिलाफ उसकी पत्नि ने आगे रिपोर्ट दी है, जिसकी जॉच मेरे पास है उसमे 8-9 जनो के नाम और थे नाम निकालने के लिए तुम्हारे को 23000 हजार रूपये मेरे को देने पडेगे और फिर हमने कहा की इतने पैसे नही है, बाद मे व्यवस्था करके आपको दे देगें। जिस पर खेमराज जी ने कहा कि आज जो है वो दे दो जिस पर दिनांक 13.06.2026 को 5000 रिश्वत के दिए, तब उन्होने कहा की बाकी 18000 हजार रूपये 1 या 2 दिन मे देने को कहा, जिस पर आपके चौकी द्वारा उसी दिन मेरे साथ आपकी चौकी स्टाफ भेजकर श्री खेमराज जी थानेदार व महेन्द्र

कॉन्सटेबल से वार्ता करवाई थी। उसी दिन 3000 हजार और दिए व शेष 15000 रूपये 1 या 2 दिन मे देने को कहा, उसके बाद दिनांक 15.06.2026 को मैं व श्रीमती लिलावती अहारी 15000 हजार रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपकी चौकी पर उपस्थित हुए थे, लेकिन खेमराजी जी थानेदार व महेन्द्र कॉन्सटेबल को कारवाई की भनक लग जाने से रिश्वत राशि ग्रहण नही की व न ही रिश्वत राशि के बारे बातचीत की थी न ही आगे रिश्वत राशि लेने की संभावना नही है। अतः अब तक की जो भी नियमानुसार कारवाई करावें।'' परिवादी श्री हरिश अहारी द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण द्वारा अब रिश्वत राशि ग्रहण करना सम्भव नही होने के कारण परिवादी, सहपरिवादिया व श्री रोहित को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया व पाबन्धशुदा स्वतन्त्र गवाह को जरिये टेलिफोन कार्यालय मे शीघ्र उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। तत्पश्यात समय करीब 06.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नितेश कुमार व सुश्री ईशानी मीणा उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे उक्त हालात से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढवाई गई तथा उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय करीब 07.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाह तथा परिवादी, सहपरिवादीया के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर दिनांक 15.06.2026 को समय करीब 06.30 पी. एम पर परिवादी श्री हरीश अहारी, सहपरिवादीया श्रीमती लीलावती अहारी एवं संदिग्ध श्री खेमराज उप निरीक्षक व कानि महेन्द्र पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर से रिष्वत राषि लेनदेन हेतू भेजा गया वापस आकर सहपरिवादिया ने बताया की हम पुलिस चौकी बनकोडा गये वहा थानेदार श्री खेमराज जी मिले जिन्होने हरीश को ईशारा कर एक तरफ ले जाकर कहा की तुम मेरे पास क्यु आये हो, मुझसे मत मिलो। उसके बाद थानेदार अन्य व्यक्ति की कार मे बैठकर वहा से चला गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेरे पास था ओर मे दुर खडी थी इस कारण हरिश व थानेदार खेमराज की वार्ता रिकोर्ड नही हुई है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी व सहपरिवादिया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष शुरू कर सुना गया तो उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड वार्ता मे केवल गाडीयो के चलने की आवाज की रिकोर्ड हुई है आरोपी तथा परिवादी और सहपरिवादिया की कोई वार्ता रिकोर्ड नही हुई है। जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8GB में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री बाबुलाल कानि. 393 द्वारा कार्यालय के सरकारी कम्प्युटर में कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ता को कॉपी कर तीन पेन ड्राईव SANDISK 08GB की तैयार की गयी। एक पर आरोपी पेनड्राईव, दुसरी पर आरोपी-1 पेनड्राईव तथा तीसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी व आरोपी-1 पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनो पेनड्राईव को अलग-अलग खाकी लिफाफे में चिट लगाकर अनशिल्ड सुरक्षित रखा गया एवं तीसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा जिसको खाकी लिफाफे में चिट लगाकर अनशिल्ड सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्यात समय करीब 08.00 पी.एम पर चूंकि परिवादी व सहपरिवादी के बताये अनुसार अब अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से दिनांक 15.06.2026 को परिवादी श्री हरिश अहारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहने पर परिवादी हरिश अहारी द्वारा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000/- रूपये प्रस्तुत किये थे। उक्त राशि को मालखाना से निकालकर बाजार से परिवर्तित कराया जाकर परिवादी हरिश अहारी को राशि 15,000/- रूपये दोनो स्वतन्त्र गवाहान व सहपरिवादीया के समक्ष परिवादी श्री हरिश अहारी को लोटाये जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक कि कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी के भाई श्री रोहित की पत्नि अनिता ने रोहित व 8-9 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय मे रिपोर्ट दी थी जिस पर दिनांक 07.06.2026 को पुलिस थाना दोवडा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/2026 धारा 85, 115(2), 316(2) बीएनएस मे पंजीबद हुई। जिसका अनुसंधान आरोपी श्री खेमराज उपनिरीक्षक प्रभारी चौकी बनकोडा द्वारा किया जा रहा था। जिसमे श्री रोहित व अन्य 8-9 व्यक्तियो के नाम हटाने की व मदद करने की एवंज में 23,000/- रूपये रिश्वत राशि की आरोपी श्री खेमराज उपनिरीक्षक व श्री महेन्द्र कानि द्वारा परिवादीगण से मांग की गई थी, जिस पर 5000/- रूपये पहले ही परिवादीगण से लेना व दिनांक 14.06.2026 को मांग सत्यापन के वक्त 3000/-रूपये लेना तथा शेष 15,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति देने की पुष्टि हुई। तत्पश्यात आरोपी श्री खेमराज उपनिरीक्षक व श्री महेन्द्र कानि को शंका हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। आरोपी श्री खेमराज उपनिरीक्षक व श्री महेन्द्र कानि पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डुंगरपुर द्वारा द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी के भाई श्री रोहित की पत्नि अनिता ने रोहित व 8-9 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट दी थी जिसमे अन्य व्यक्तियो के नाम हटाने व मदद करने के लिए 23,000/- रूपये रिश्वत राशि की आरोपी श्री खेमराज उपनिरीक्षक व श्री महेन्द्र कानि द्वारा मांग की गई थी, जिस पर 5000/- रूपये पहले ही परिवादीगण से लेना व दिनांक 14.06.2026 को मांग सत्यापन के वक्त 3000/-रूपये

लेना तथा 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री खेमराज बलाई पिता श्री भुरालाल बलाई जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी गांव गुडला पोस्ट धायला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद तत्कालिन पुलिस उप निरीक्षक पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व श्री महेन्द्र मीणा पिता श्री रतनजी मीणा जाति मीणा उम्र 36 वर्ष निवासी खगदेर फला पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर तत्कालिन कानिस्टेबल न. 876 पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध धारा उपरोक्त में प्रकरण पंजीबद्ध करने की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है। (राजेन्द्र सिंह जैन) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर...........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री खेमराज बलाई पिता श्री भुरालाल बलाई जाति बलाई उम्र 55 वर्ष निवासी गांव गुडला पोस्ट धायला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद तत्कालिन पुलिस उप निरीक्षक पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर एवं 2- श्री महेन्द्र मीणा पिता श्री रतनजी मीणा जाति मीणा उम्र 36 वर्ष निवासी खगदेर फला पादरा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर तत्कालिन कानिस्टेबल न. 876 पुलिस चौकी बनकोडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राम सुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 397 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1390-94 दिनांक 24-8-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर 3-पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMSUMER MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/08/2026 17:32:08

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				
2	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)